

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव।
उत्प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ)
उत्प्र०, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2019

विषय- "एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-239/एम0एस0एम0ई0/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ/2018-19, दिनांक 5.10.2018 एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) उत्प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-333/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ/2018-19, दिनांक 28.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत् निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये उत्पादों से सम्बन्धित हस्तशिल्पियों, बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों एवं निर्यातक इकाईयों को उनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन "एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु आर्थिक सहायता।
- (2) प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु आर्थिक सहायता।
- (3) विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु आर्थिक सहायता।
- (4) इलेक्ट्रानिक कार्मस की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ किये जाने हेतु आर्थिक सहायता।

2. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद के केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी पहचान पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र/उद्यमी आधार धारक ऐसे व्यक्ति/इकाईयों पात्र होंगी, जो संबंधित जनपद में उस जनपद हेतु चयनित उत्पाद/उत्पादों के उत्पादन अथवा विपणन कर रहे/रही हैं।

3. योजनान्तर्गत प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी:-

क्र0सं0	प्रयोजन	अनुमन्य आर्थिक सहायता
1.	प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।	स्टाल चार्ज वाले 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 50,000/- उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की दुलाई पर आने वाले व्यय का 75

		<p>प्रतिशत, अधिकतम रु. 7,500/-</p> <p>मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने- जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया।</p>
2.	प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।	<p>स्टाल चार्जेज का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50,000/-</p> <p>उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ड्रुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 15,000/-</p> <p>मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया</p>
		<p>स्टाल चार्जेज का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख।</p> <p>उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ड्रुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रतिशत (B2B Fair हेतु अधिकतम रु. 25,000/- एवं B2C Fair हेतु अधिकतम रु. 50,000/-)</p>
		<p>मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस से की गयी घरेलू यात्रा तथा वायुयान की इकोनॉमी क्लास में की गयी विदेश की यात्रा पर किये गये कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 75,000/-</p>
4.	इलेक्ट्रानिक कार्मस की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किये गये व्यवसाय में हुए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 10,000/-	<p>इलेक्ट्रानिक कार्मस की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किये गये व्यवसाय में हुए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 10,000/-</p> <p>उक्त वित्तीय सहायता केवल एक वेबसाइट अथवा पोर्टल हेतु अनुमन्य होगी।</p>

4. प्रस्तर-3 में उल्लिखित आर्थिक सहायता हेतु अनुमन्य मेला/प्रदर्शनियों आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा अधिसूचित की जायेंगी तथा आवश्यकतानुसार इन मेला/प्रदर्शनियों को शासनादेश संख्या: 506/18-4-2018-18(विविध) /17टी.सी., दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदनोपरान्त संशोधित/ परिमार्जित किया जा सकेगा।

5. कोई भी इकाई/व्यक्ति प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला/प्रदर्शनियों, प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों एवं विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। किसी भी एक मेला-प्रदर्शनी हेतु पात्र व्यक्ति या इकाई को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी

अनुमन्य होगी जब व्यक्ति/इकाई द्वारा किसी अन्य योजना से समान प्रकृति के पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

6. इलेक्ट्रानिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक सहायता उन व्यक्तियों/इकाईयों को ही अनुमन्य होगी जो पूर्व से किसी भी इलेक्ट्रानिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय नहीं कर रहे हों तथा यह सुविधा किसी एक वेबसाइट या पोर्टल तक ही सीमित रहेगी।

7. विपणन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आन लाइन/पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाइन/पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र दाखिल किये जाने की सुविधा प्रारम्भ होने तक अथवा किसी अन्य कारण से इस सुविधा में व्यवधान आने की स्थिति में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा आफ लाइन भी प्राप्त किये जा सकेंगे।

8. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु कार्य सम्पादन के माह को छोड़ कर अधिकतम 120 दिवसों के अन्दर आवेदन पत्र आन लाइन दाखिल किये जायेंगे तथा ऑनलाइन दाखिल किये जाने की तिथि के 15 दिवसों के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में जमा की जानी होगी।

9. इलेक्ट्रानिक कामर्स की विभिन्न वेबसाइट व पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय /विज्ञापन हेतु आर्थिक सहायता से सम्बन्धित आवेदन पत्र के साथ सेवा प्रदाता द्वारा निर्गत की गयी इनवाइस, किये गये भुगतान की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट/प्रमाण पत्र तथा आवेदक व्यक्ति/इकाई का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड/पंजीयन प्रमाण पत्र/उद्यमी आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु बस एवं रेल के आफ लाइन/विण्डो के माध्यम से क्रय किये गये टिकट के अतिरिक्त किसी अन्य मद में किया गया नगद भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

11. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार शासनादेश संख्या: 506/18-4-2018-18(विविध)/17टी.सी., दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति में निहित होगा। उक्त समिति द्वारा स्वीकृत किये गये दावों की सूची ऑनलाइन/पोर्टल के माध्यम से आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा जनपद स्तर से स्वीकृत लाभार्थियों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का वितरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

13. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो लाभार्थी से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भाँति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

14. योजना का क्रियान्वयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा किया जायेगा।

15. "एक जनपद एक उत्पाद विषयन प्रोत्साहन योजना" के सम्बन्ध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण माझे मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।
कृपया, उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)

सचिव।

संख्या-56/18-4-2019 तिथिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, ३०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, ३०प्र० इलाहाबाद।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी ३०प्र०।
6. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, (ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) निर्यात भवन लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, ३०प्र०।
8. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, ३०प्र०।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पन्ना लाल)
उप सचिव।